IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, August 2025
Impact Factor: 7.67

''सूचना का अधिकार'' 2005 अवधारणा और इसका महत्व

डॉ. कुसुम भदौरिया
प्रोफेसर एण्ड एचओडी
डिपार्टमेन्ट ऑफ पोलिटिकल साइन्स
शासकीय एम.एल.बी कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.)
कंचन सिंह नगेल
शोध छात्र
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

शोध–सार

सूचना का अधिकार (आरटीआई), सभ्य मानव जगत में लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा अधिकार है जो सरकारी क्रिया–कलापों, प्रशासनिक निर्णयों, योजनाओं आदि के विषय में नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कार्यों, योजनाओं, निर्णयों को आम जनता तक सरलता से पहुँचाये। किन्तु लालफीताशाही, तानाशाही, सरकारी कार्यों में लेटलतिफी के कारण आम–जनता को मानिकस और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गई है। आज राजनैतिक इच्छाशक्ति के कारण ही देश आर्थिक और वैश्विक उन्नति कर रहा है इसलिए प्रत्येक कार्यों की समय–सीमा में कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की है। आम जनता को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है।

प्रस्तावना–

सूचना का अधिकार एक अधिनियम है। भारत सरकार की संसद में 2005 में इसे पारित किया गया। जिसे 12 अक्टूबर 2005 में इसे पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

बीज–शब्द–

सुशासन, अवधारणा, अधिकार, सूचना, भ्रष्टाचार, जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रशासनिक कार्य, लालफीताशाही, लोकतंत्र आदि।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-28621